भारत सरकार

विदेश मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2683

04.12.2019 को उत्तर दिए जाने के लिए

भूटान के साथ समझौता ज्ञापन

2683. डॉ. वेंकटेशनेता बोरलाकुंता:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और भूटान ने हाल ही में कुछ समझौता-ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम हैं; और

(ग) विभिन्न क्षेत्रों में हस्ताक्षरित अब तक समझौता-ज्ञापनों से हमारे देश को क्या लाभ हुए हैं?

उत्तर

विदेश राज्य मंत्री

[श्री वी. मुरलीधरन]

(क) जी, हाँ। भारत और भूटान ने अगस्त 17-18, 2019 को भारतीय प्रधानमंत्री की भूटान यात्रा के दौरान शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, जल विद्युत, विधिक और नागरिक विमानन क्षेत्र में 10 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए।

(ख) और (ग) प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान हस्ताक्षर किए गए समझौता ज्ञापनों की सूची संलग्न है। ये समझौता ज्ञापन भूटान के साथ हमारे निकट और बहुआयामी द्विपक्षीय संबंधों और दोनों देशों के लोगों में परस्पर संबंधों को और अधिक मजबूत और गहन बनाएंगे।

प्रधानमंत्री की भूटान की आधिकारिक यात्रा (अगस्त **17-18, 2019**)के दौरान आदान-प्रदान

किए गए समझौता ज्ञापनों/करारों की सूची

सं.	समझौता ज्ञापन/करार का नाम
1.	दक्षिण एशिया सैटेलाइट के उपयोग के लिए सैटकॉम नेटवर्क की स्थापना के संबंध में भारत गणराज्य की सरकार के भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) और भूटान की शाही सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी और दूसंचार विभाग (डीआईटीटी) के बीच समझौताा ज्ञापन।
2.	वायु दुर्घटना अन्वेषण यूनिट (एएईयू), सूचना और संचार मंत्रालय, भूटान शाही सरकार और विमान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो (एएईबी), नागरिक विमानन मंत्रालय, भारत गणराज्य के मध्य विमान दुर्घटना और हादसा अन्वेषण से संबंधित सहयोग पर समझौता ज्ञापन।
3.	राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क (एनकेएन), राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, इलैक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और दूरसंचार विभाग [ड्रूक अनुसंधान और शिक्षा नेटवर्क (ड्रूकरेन)] के मध्य समकक्ष संस्था के तौर पर समझौता हेतु समझौता ज्ञापन।
4.	मांगदेच्छु विद्युत के विक्रय और क्रय के लिए पीटीसी इण्डिया लि. और ड्रूक ग्रीन विद्युत निगम लि. के मध्य विद्युत क्रय करार।
5.	भूटान राष्ट्रीय विधिक संस्थान और राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भोपाल के मध्य कानूनी शिक्षा और परस्पर आदान-प्रदान में सहयोग पर समझौता ज्ञापन।
6.	जिग्में सिंग्ये वांगचुक विधि स्कूल, थिम्पु, भूटान और भारतीय विश्वविद्यालय बंगलौर, भारत के राष्ट्रीय विधि विद्यालय के मध्य दोनों पक्षकारों में संबंधों को बढ़ाने और कानूनी शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्रों में अकादमिक और सांस्कृतिक आदान-प्रदान विकसित करने के लिए समझौता ज्ञापन।
7.	भूटान के शाही विश्वविद्यालय और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर के मध्य समझौता ज्ञापन।
8.	भूटान के शाही विश्वविद्यालय और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सिलचर के मध्य समझौता ज्ञापन।
9.	भूटान के शाही विश्वविद्यालय और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के मध्य समझौता ज्ञापन।
10.	भूटान के शाही विश्वविद्यालय और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली के मध्य समझौता ज्ञापन।

***